भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2082
दिनांक 12.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

पश्चिम बंगाल में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा

2082. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा क्या पहल की गई है;

(ख) पश्चिम बंगाल में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य में मंत्रालय की योजनाओं से कितने कारीगरों को लाभ मिला है;

(ग) पश्चिम बंगाल में खादी उत्पादों को बढ़ावा देने और विपणन संबधी पहलों के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में महिला कारीगरों और उद्यमियों के सहयोग हेतु कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किये हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) के माध्यम से पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न पहलें की हैं। केजीवीवाई के निम्नलिखित दो घटक हैं:

- खादी विकास योजना (केवीवाई), संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए), ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक), खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम, मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढीकरण, विपणन अवसंरचना और खादी (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के लिए सहायता जैसी मौजूदा स्कीमों के घटकों के माध्यम से खादी क्षेत्र का संवर्धन और सहायता प्रदान करती है।

- ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई), सामान्य सुविधाओं, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण और टूलकिट वितरण के माध्यम से ग्रामोद्योग को बढ़ावा देती है। जीवीवाई ग्रामोद्योग के निम्नलिखित घटकों/कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों: कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई), खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई), स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग (डब्लूसीआई), हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचपीएलपीआई), ग्रामीण अभियांत्रिकी और नई प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई), और सेवा उद्योग के लिए सहायता प्रदान करती है।

- केवीआईसी 35 विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों तथा 25 प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से युवाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण भी आयोजित करता है। ये प्रशिक्षण केंद्र स्व-रोजगार और नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों जैसे साबुन एवं डिटर्जेंट निर्माण, खाद्य पदार्थ, बेकरी उत्पाद, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, मोटर मरम्मत आदि के अंतर्गत आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

- खादी उत्पादों के लिए डिजाइन क्रियाकलाप, उत्पाद विकास, क्षमता निर्माण और बाजार सहायता प्रदान करने के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल के अंतर्गत राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ़्ट), नई दिल्ली के सहयोग से केवीआईसी द्वारा खादी उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके) की स्थापना की गई है। कोलकाता स्पोक केंद्र पश्चिम बंगाल में खादी संस्थाओं और कारीगरों की सहायता करता है।

- एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से पश्चिम बंगाल में ग्रामोद्योग सहित गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयाँ स्थापित करने में सूक्ष्म उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन करता है।
- परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) के अंतर्गत, केवीआईसी पश्चिम बंगाल सहित देश में ग्रामीण कला और शिल्प को संरक्षित करने के लिए पारंपरिक उद्योगों के क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देती है। पश्चिम बंगाल में स्फूर्ति क्लस्टरों में कुल 9,950 पारंपरिक कारीगरों को लाभ होने की संभावना है। स्फूर्ति स्कीम दिनांक 30.09.2022 तक जारी थी।
- केवीआईसी ई-कॉमर्स पोर्टल www.khadiindia.gov.in का प्रचालन करता है, जिसमें लगभग 5000 से अधिक विभिन्न केवीआई उत्पाद शामिल हैं। यह विभिन्न केवीआई इकाइयों को डिजिटल विपणन पहुंच प्रदान करता है।

(ख): पश्चिम बंगाल में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) पश्चिम बंगाल सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है तथा राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन द्वारा खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) क्रियाकलापों को बढ़ावा देता है। खादी क्षेत्र के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 32,578 खादी कारीगर कार्यरत हैं। इसके अलावा, ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) के अंतर्गत, राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान 1,830 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और टूलकिट प्रदान किए गए हैं।

(ग): वर्ष 2024-25 के दौरान, खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कुल 15.41 लाख रुपए (अनंतिम) की निधि संवितरित की गई है। इसके अलावा, उसी वर्ष के दौरान, विपणन पहल के लिए विपणन शीर्ष के अंतर्गत ₹29.18 लाख (अनंतिम) संवितरित किए गए हैं।

(घ): खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) के कार्यान्वयन के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महिला कारीगरों और उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में संलग्न कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है।

- खादी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल में लगभग 18780 महिला कारीगर कार्यरत हैं।
- पिछले पांच वर्षों से ग्रामोद्योग विकास कार्यक्रम के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत, लगभग 700 महिला कारीगरों को लाभान्वित किया गया है।
- क्षमता निर्माण के एसडीपी और ईएपी कार्यक्रम के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 9294 महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

*****